①
②

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां (राज.)

...-पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
.../24	251क RTA	तिसाया	बारां

वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी
हरिश्चन्द्र	बनाम	रामप्रताप
वकील :– श्री ओमप्रकाश मेहता II एड0	आदेश पत्रक	वकील:–

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
23.07.2024	अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 251क आर. टी. एक्ट विरूद्व प्रतिवादी के न्याया0 में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 11.09.2024 को पेश हो।	
11-9-24	पीठासीन अधिकारी ~~[illegible]~~ में रहने से पूर्ववत दिनांक 16-10-24 को प्रस्तुत हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
16-10-24	पीठासीन अधिकारी ~~[illegible]~~ में रहने से पूर्ववत दिनांक 9-12-24 को प्रस्तुत हो। उप खण्ड अधिकारी बारां	
9-12-24	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0। अप्रार्थी क्रम-1 की ओर से श्री अरविंद सिंह चौधरी एड. का वकालतनामा पेश हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8-1-25 को पेश है।	
8-1-25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान फरीकैन उप0। वकील अप्रार्थी जवाब के समय चाहते है। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 22-1-25 को पेश है।	
22-1-25	पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान फरीकैन उप0। ~~वकील~~ अप्रार्थी जवाब के समय चाहते है कि TDR बाहर से लिया जाना। पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 21-2-25 को पेश है।	

	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
25	पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधि. बारां में रहने से पूर्व. दिनांक 5-7-25 को प्रस्तुत करें। उपखण्ड अधिकारी बारां	
04/7/25	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीपक्ष के वकील उप०। हकीमलाल बांध के लिखित प्रार्थना पत्र जो संलग्न पत्रावली है बहस अप्रार्थीपक्षगण वकील सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर पारित किया गया। पारित निर्णय की प्रतिलिपि प्रार्थी हकीमलाल बांध को दिलवाई जावे। पत्रावली नियमानुसार कार्यवाही के बाद बाद तामील अभिलेख में प्रविष्ट हो जमा कराया गया। उपखण्ड अधिकारी बारॉं	

निर्णय व इजलास श्री बनवारी लाल बैरवा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 69/24
दायरा दिनांक :– 23.07.2024
निर्णय दिनांक :– 04/7/2025

उनवान

1. हरिशचन्द्र आयु 70 वर्ष पुत्र श्री काशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी तिसाया तहसील बारां जिला बारां राज0 हाल निवासी के–16 राम मंदिर मांर्ग जवाहर नगर कोटा मो0 9414941439

प्रार्थी–

बनाम

2. रामप्रताप पुत्र काशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी तिसाया जिला बारां राज0
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां

अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर.टी. एक्ट
निर्णय दिनांक :– 04/7/2025

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री ओमप्रकाश मेहता ।। एड0– प्रार्थी
2. धर्मेन्द्र सिंह चौधरी – अप्रार्थीगण

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खातेदार एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम तिसाया पटवार हल्का तिसाया तहसील बारां की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 542 पुराना 518 की आराजी खसरा नं0 1061 रकबा 0.27 हे0 खसरा नं0 1062 रकबा 0.02 हे0 खसरा नं0 1063 रकबा 0.40 हे0 खसरा नं0 1409/290 रकबा 0.30 हे0 खसरा नं0 291 रकबा 0.91 हे0 खसरा नं0 292/1344 रकबा 0.32 हे0 खसरा नं0 467 रकबा 0.07 हे0 कुल 7 किता कुल रकबा 2.29 हे0 स्थित है। इसमें से खसरा नं0 291 रकबा 0.91 हे0 खसरा नं0 292/1344 रकबा 0.32 हे0 व 1409/290 रकबा 0.30 हे0 विवादित है तथा खातेदार रामप्रताप पुत्र काशीलाल की खसरा नं0 292 रकबा 1.23 हे0 व खसरा नं0 1408/290 रकबा 0.25 हे0 को विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है। कि ग्राम भडसुई से तिसाया माईनर के सहारे रास्ता स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 291 रकबा 0.91 हे0 व खसरा नं0 1409/290 रकबा 0.30 हे0 खसरा नं0 292/1344 रकबा 0.32 हे0 पर आने जाने के लिये अप्रार्थी क्रम 1 रामप्रताप के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1408/290 रकबा 0.25 हे0 जो ग्राम भडसुई के कांकड से लगा हुआ है, से प्रार्थी आता जाता रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता से प्राप्त आराजी दोनों के मध्य विभाजन हुआ उस वक्त रास्ते से ही आना जाना पारिवारिक समझौते अनुसार तय हुआ था तब से ही प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा निकलने में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। इसलिये प्रार्थी 12 फुट का नियमानुसार रास्ते के रूप में दर्ज कराने व नियमानुसार 12 फुट रास्ते के रूप में ग्राम भडसुई के कांकड के सहारे एक तरफ से ही 12 फुट का रास्ता अपने खेत तक चाहता है जिसकी कीमतन राशि नियमानुसार प्रार्थी जमा कराने को तैयार है प्रार्थी की आराजी पर पहुंचने हेतु प्रार्थी को 12 फुट रास्ते की आवश्यकता है इस कारण प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजी पर आने जाने हेतु नियमानुसार रास्ता प्राप्त करने का

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थी के खाते की आराजी में आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होने से व पारिवारिक बंटवारे के समय उक्त रास्ता ही मौखिक रूप से अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी को उपयोग करने हेतु सहमति अनुसार दिया गया था। प्रार्थी को अपनी कृषि उपज को लाने ले जाने बीज पानी देने आदि में गंभीर परेशानियो का सामना करना पड रहा है इस कारण प्रार्थी उक्त आराजियात पर होकर रास्ता कायम करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है। यह कि दिनांक 28.06.2024 को जब प्रार्थी टेक्टर लेकर उक्त आराजी से जाने लगा तो अप्रार्थी उसके पुत्रों द्वारा एवं उनके सहयोगियों ने प्रार्थी को रास्ते से जाने के लिये स्पष्ट इंकार कर दिया जब प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग करने लगा तो अप्रार्थी व उनके पुत्रों व सहयोगियों ने उक्त रास्ते को तारबंदी कर बाधित कर दिया तथा अप्रार्थी ने प्रार्थी को उक्त रास्ते से होकर आने जाने से स्पष्ट इंकार कर दिया इस प्रकार वाद कारण अंतिम रूप से दिनांक 28.06.2024 से आज तक निरन्तर जारी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी भडसुई तिसाया माईनर से प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु 12 फुट का रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान करे प्रार्थी इस हेतु नियमानुसार डी.एल.सी दर से राशि जमा करवाने को तैयार एवं तत्पर है। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी कम 1 की ओर से जवाब पेश हुआ तथा अप्रार्थी कम 2 से मोके की रिपोर्ट ली गयी। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम तिसाया सम्वत 2073–2076 खाता संख्या नया 439, पुराना खाता संख्या 430, नकल जमाबंदी ग्राम तिसाया सम्वत 2073–2076 खाता संख्या नया 542, पुराना खाता संख्या 518, नकल जमाबंदी ग्राम तिसाया सम्वत 2073–2076 खाता संख्या नया 438, पुराना खाता संख्या 429 नकल नक्शा मानचित्र सम्वत 1977–78, पेश किया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी। बहस के दौरान वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी के खातेदार एवं स्वामित्व की आराजी वाके ग्राम तिसाया पटवार हल्का तिसाया तहसील बारां की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 खाता संख्या नया 542 पुराना 518 की आराजी खसरा नं0 1061 रकबा 0.27 हे0 खसरा नं0 1062 रकबा 0.02 हे0 खसरा नं0 1063 रकबा 0.40 हे0 खसरा नं0 1409/290 रकबा 0.30 हे0 खसरा नं0 291 रकबा 0.91 हे0 खसरा नं0 292/1344 रकबा 0.32 हे0 खसरा नं0 467 रकबा 0.07 हे0 कुल 7 किता कुल रकबा 2.29 हे0 स्थित है। इसमें से खसरा नं0 291 रकबा 0.91 हे0 खसरा नं0 292/1344 रकबा 0.32 हे0 व 1409/290 रकबा 0.30 हे0 विवादित है तथा खातेदार रामप्रताप पुत्र काशीलाल की खसरा नं0 292 रकबा 1.23 हे0 व खसरा नं0 1408/290 रकबा 0.25 हे0 को विवादित आराजियात के नाम से सम्बोधित किया गया है कि ग्राम भडसुई से तिसाया माईनर के सहारे रास्ता स्थित है। प्रार्थी के खातेदारी की आराजियात खसरा नं0 291 रकबा 0.91 हे0 व खसरा नं0 1409/290 रकबा 0.30 हे0 खसरा नं0 292/1344 रकबा 0.32 हे0 पर आने जाने के लिये अप्रार्थी क्रम 1 रामप्रताप के खातेदारी की आराजी खसरा नं0 1408/290 रकबा 0.25 हे0 जो ग्राम भडसुई के कांकड से लगा हुआ है, से प्रार्थी आता जाता रहा है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की आराजियात पर आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। पूर्व में प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता से प्राप्त आराजी दोनों के मध्य विभाजन हुआ उस वक्त रास्ते से ही आना जाना पारिवारिक समझौते अनुसार तय हुआ था तब से ही प्रार्थी इसी रास्ते का उपयोग करता चला आ रहा है किन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज नही होने के कारण अप्रार्थी क्रम 1 के द्वारा निकलने में व्यवधान उत्पन्न किया जाता है। इसलिये प्रार्थी 12 फुट का नियमानुसार रास्ते के रूप में दर्ज कराने व नियमानुसार 12 फुट रास्ते के रूप में ग्राम भडसुई के कांकड के सहारे एक तरफ से ही 12 फुट का रास्ता अपने खेत तक चाहता है। जिसकी कीमतन राशि नियमानुसार प्रार्थी जमा कराने को तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

प्रार्थी के खाते की आराजी में आने जाने के लिये उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होनें से व पारिवारिक बंटवारे के समय उक्त रास्ता ही मौखिक रूप से अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा प्रार्थी को उपयोग करने हेतु सहमति अनुसार दिया गया था। प्रार्थी को अपनी कृषि उपज को लाने ले जाने बीज पानी देने आदि में गंभीर परेशानियो का सामना करना पड रहा है इस कारण प्रार्थी उक्त आराजियात पर होकर रास्ता कायम करवाने के अधिकारी एवं नालिशी है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी भडसुई तिसाया मा़ईनर से प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु 12 फुट का रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान करे प्रार्थी इस हेतु नियमानुसार डी.एल.सी दर से राशि जमा करवाने को तैयार एवं तत्पर है। अन्य सहायता जो न्यायोचित हो प्रदान की जावें।

बहस अभिभाषक के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि ग्राम भडसुई से तिसाया माईनर के सहारे रास्ता होना स्वीकार है एवं उक्त रास्ता केवल सिंचाई विभाग द्वारा नहर के देख रेख के लिये बनाया गया है जो ज्यादा पुराना नहीं है। प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते का एवं अप्रार्थी कम 1 के खाते की आराजी ख0नं0 1408/290 पर से प्रार्थी ने अपने खेत पर आने जाने हेतु रास्ते का उपयोग उपभोग कभी भी नहीं किया है। प्रार्थी हमेशा से ही प्रार्थी स्वयं के खेत ख0नं0 291 के पश्चिम और स्थित ख0नं0 280 से होकर खसरा नम्बर 271 एवं 270 से रोड पर होकर माईनर तक आता जाता व अपने कृषि यन्त्र लाता ले जाता रहां है एवं वर्तमान में भी प्रार्थी उक्त रास्ते ख0नं0 280 ख0नं0 271 एवं ख0नं0 270 से रोड पर होकर माईनर तक का खेत पर आने जाने हेतु उपयोग उपभोग कर रहां है एवं प्रार्थी के पास उक्त वैकल्पिक रास्ता पूर्व में विद्यमान है। तथा माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा प्रतिपादित विभिन्न न्यायिक सिद्वान्तो में प्रतिपादित किया गया है कि जहा पूर्व से ही आराजियात पर आने जाने हेतु रास्ता विद्यमान है वहॉ नया रास्ता कायम नही किया जा सकता है। प्रार्थी को अपनी आराजी पर आने जाने हेतु रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नं0 291 के पश्चिम और स्थित खसरा नं0 280 से होकर खसरा नं0 271 एवं खसरा नं0 270 से रोड पर होकर माईनर पर मिलने के कारण एवं रास्ता/वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर सुगम रास्ता प्रदान करने हेतु नया मार्ग बनाने सम्बन्धित प्रावधान नही होने से प्रार्थीगण अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी से किसी प्रकार का रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नही है तथा माननीय राजस्व बोर्ड द्वारा जगदीश बनाम केसरराम वगैरा 2021 (2) आर.आर.टी 1286 व रामबिलाश बनाम रामेश्वर वगैरा 2018–19 (सप्ली0) आर. आर.टी 576 में स्पष्ट किया है कि धारा 251ए आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत सुगम मार्ग प्रदान करने का प्रावधान नही है नया मार्ग स्वीकृत नही किया जा सकता यदि वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है। इस कारण प्रार्थी अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी से किसी प्रकार का रास्ता कायम करवा पाने का अधिकारी नही है। प्रार्थी द्वारा जानबुझकर कर अप्रार्थी क्रम 1 को परेशान करने की गरज से उक्त कार्यवाही बिना किसी ठोस आधार पर श्रीमान न्यायालय में पेश की है जो खारिज होने योग्य है।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गयी। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार बारां की रिपार्ट अनुसार ग्राम तिसाया राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार वर्तमान खसरा नं0 291 रकबा 0.91 हे0, 1409/290 रकबा 0.30 हे0, 292/1344 रकबा 0.32 हे0, कुल किता 3 कुल रकबा 1.53 हे0 भूमि खातेदार हरिशचन्द्र पुत्र काशीलाल जाति ब्राहम्ण सा0 देह के नाम दर्ज खाता है। मु0 वादीगण (खातेदार) द्वारा वाद प्रस्तुत कर आराजी खसरा संख्या 1408/290 में से होकर रास्ता चाहा गया है। जो कि प्रतिवादी खातेदार रामप्रताप पुत्र काशीलाल जाति ब्राहम्ण निवासी तिसाया के दर्ज खाता है। मौके पर उपस्थित ग्रामवासियान द्वारा उक्त आराजी पर आने जाने हेतु रास्ते के संबंध में जानकारी की गई। ग्रामवासियान जोधराज पुत्र भैरूलाल गुर्जर तिसाया, देवलाल पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी तिसाया, रामलाल पुत्र भैरूलाल जाति गुर्जर निवासी तिसाया द्वारा बताया गया कि ग्राम तिसाया के आराजी खसरा नं0 270 गैर मुमकिन रास्ता ग्राम तिसाया से खेडली के बीच से खसरा संख्या 271 रकबा 0.

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

30 किस्म गैर मुमकिन रास्ता खाडी व खसरा संख्या 290 रकबा 0.09 किस्म गैर मुमकिन खाडी व खसरा संख्या 1369/290 रकबा 0.40 किस्म नहरी 2 पर से होकर आने जाने हेतु रास्ते के उपयोग में लिया जाना बताया गया है वर्तमान में उक्त खसरा नं0 नाला के रूप में मौजूद है जिसमें वर्षा जल एवं अन्य जल प्रवाहित है उपरोक्त गवाहान द्वारा इसी नाले के सहारे सहारे निकलना बताया है। परन्तु मौके पर आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं है। वादीगण द्वारा ग्राम तिसाया के आराजी खसरा संख्या 1408/290 में से होकर रास्ता चाहा गया है। ग्राम तिसाया में वर्तमान में नहर का माइनर खसरा संख्या 300 पर जीर्णोद्धार हुआ है जिसके कारण नहर के माइनर पर साइड में रास्ता निकला हुआ है। जो कि मौके पर माइनर पर सड़क ग्राम तिसाया से मडसुई तक आवागमन संचालित है। इसी माइनर पर प्रतिवादीगण का आराजी खसरा संख्या 292, 1408/290 अवस्थित है। मौके पर वर्तमान में कृषि कार्य हेतु माइनर पर स्थित सड़क (कच्चा रास्ता) का उपयोग किया जाना वादी द्वारा बताया गया आराजी खसरा संख्या 290, 291 राजकीय भूमि है। जिसकी किस्म प्रतिबंधित श्रेणी गैरमु. खाडी दर्ज रिकार्ड है। वादीगण की आराजी पर आने जाने हेतु मौके पर कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है न ही कोई निकटतम मार्ग है अतः प्रार्थी द्वारा खसरा नं0 1408/290 रकबा 0.25 हे0 के दक्षिणी मेड से चाहा गया है जिसमें 110×4मी(0.0440 हे0) भूमि आती है। तहसीलदार, बारां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 की आराजी ख0 नं0 1408/290 मडसुई तिसाया माईनर में से प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु 12 फुट का रास्ता कायम करवाया जाना न्यायोचित होगा।

: क्रियात्मक आदेश :

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम तिसाया तहसील बारां के खसरा नं0 1408/290 रकबा 0.25 हे0 की दक्षिणी मेड पर होकर 12 फुट का रास्ता प्रार्थी के खेत पर आने जाने का कायम किया जाता है। उक्त रास्ते में दी गयी भूमि के बदले प्रार्थी को वर्तमान डीएलसी दर से दोगुना राशि का भुगतान हेतु तहसील कार्यालय में जमा कराया जावें। तहसीलदार बारां को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी से प्राप्त राशि का भुगतान अप्रार्थी को किया जावें तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ता कायम किया जावें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(बनवारी लाल बैरवा)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी
बारां